बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905

E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

Bid Document

कार्य का नाम:– बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में सीवर लाईन एवं मशीनहॉल के ब्लॉकेज को खोलना एवं सीवर लाईन की प्लगिंग कर डी–सिल्टिंग कार्य हेतु नगर निगम की हाईपॉवर जेटिंग कम सुपर सकर मशीन एवं जेटिंग कम सक्सन मशीनों का बोली शर्तों अनुसार रख–रखाव एवं संचालन कार्य।

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905

E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

Bid Document

कार्य का नामः– बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में सीवर लाईन एवं मशीनहॉल के ब्लॉकेज को खोलना एवं सीवर लाईन की प्लगिंग कर डी–सिल्टिंग कार्य हेतु नगर निगम की हाईपॉवर जेटिंग कम सुपर सकर मशीन एवं जेटिंग कम सक्सन मशीनों का बोली शर्तों अनुसार रख–रखाव एवं संचालन कार्य।

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / यंत्रालय / 2025 / 374 दिनांकः– 07/01/25

ई–बोली सूचना –12

बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में सीवर लाईन एवं मशीनहॉल के ब्लॉकेज को खोलना एवं सीवर लाईन की प्लगिंग कर डी–सिल्टिंग कार्य हेतु नगर निगम की हाईपॉवर जेटिंग कम सुपर सकर मशीन एवं जेटिंग कम सक्सन मशीनों का बोली शर्तो अनुसार रख–रखाव एवं संचालन कार्य हेतु पंजीकृत फर्मों से ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ई–बोली आमंत्रित की जाती हैं। बोली से सम्बन्धित समस्त विवरण **www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in** एवं नगर निगम की वेबवाईट **www.bikanermc.org** पर देखी जा सकती हैं।
कार्य की अनुमानित लागत – रूपये 330.00 लाख

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम

क्रमांक / यंत्रालय / 2025 / 375-83 **दिनांकः–** 07/01/25
प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न बोली का प्रकाशन विक्रय तिथि से समुचित समय पूर्व कम से कम स्पेस में नियमानुसार राज्य सरकार की प्रकाशन नीति के अनुरूप एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र एवं एक अखिल भारतीय स्तर के अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने की व्यवस्था करें।
2. प्रशासक महोदया, बीकानेर नगर निगम।
3. उपापन समिति सदस्य, बीकानेर नगर निगम।
4. अधिशाषी अभियंता यांत्रिक, बीकानेर नगर निगम।
5. सहायक / कनिष्ठ अभियंता सीवर कार्य, बीकानेर नगर निगम।
6. सीवरेज कार्य प्रभारी, बीकानेर नगर निगम को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त बोली प्रपत्र को www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
7. ओसवाल डाटा, बीकानेर नगर निगम को प्रेषित कर लेख है कि बोली को नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org व www.sppp.rajasthan.gov.in पर प्रकाशन करावें।
8. नोटिस बोर्ड, बीकानेर नगर निगम।
9. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905

E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

Tender Issuing Form

S. No	Particular	Detail
1	Name of work	बीकानेर नगर निगम के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में सीवर लाईन एवं मशीनहॉल के ब्लॉकेज को खोलना एवं सीवर लाईन की प्लगिंग कर डी–सिल्टिंग कार्य हेतु नगर निगम की हाईपॉवर जेटिंग कम सुपर सकर मशीन एवं जेटिंग कम सक्सन मशीनों का अनुबंध अवधि में रख–रखाव एवं संचालन का कार्य।
	Period	1 year
2	Estimated project cost	Rs. 330.00 Lacs
3	Cost of tender document (non-refundable) In favor of Bikaner Municipal Corporation, payable at Bikaner	Rs. 5000
4	RISL processing fee (non-refundable) In Favor of Managing Director RISL, payable at Jaipur	Rs. 2000
5	Earnest money deposit (2%)	Rs. 6.60 Lacs
6	Tender Publication on official website http://eproc.rajasthan.gov.in	08.01.2025 ,05.00 PM
7	Tender download start Date	08.01.2025 ,06.00 PM
8	Pre Bid Meeting Date & Time	14.01.2025 ,02.00 PM
	Pre Bid Meeting Place	Meeting Hall, Nagar Nigam, Bikaner
9	Bid Submission start Date & Time	15.01.2025 ,05 .00PM
10	Bid submission End Date	28.01.2025 ,05.00 PM
11	Technical bid opening Date & Time	29.01.2025 ,11.30 AM
12	Financial Bid opening Date& Time	Financial Bid will be opened only of Technically Qualified Bidders. It will be communicated after evaluation of Tachnical Bid
13	Non Judicial Stamp	सभी प्रकार के शपथ पत्र पृथक–पृथक नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करने होंगे। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प राजस्थान राज्य के होने चाहिये, अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।

1. बोलीदाताओं को बोली शुल्क, अमानत राशि एवं प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन बीकानेर नगर निगम की बेवसाईट www.bikanermc.org पर निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय से पूर्व जमा करवाकर उससे प्राप्त होने वाली रसीद को स्केन करके www.eproc.rajasthan.gov.in पर तकनीकी बिड के साथ अपलोड करने पर ही बोली को मान्य किया जायेगा।
2. बोली से सम्बन्धित समस्त विवरण www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in एवं नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org पर देखा जा सकता हैं। इच्छुक बोलीदाताओं को बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर पंजीयन होना आवश्यक है एवं इसी वेबसाईट पर यह बोली ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी।
3. बोली की वैधता अवधि वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से 90 दिवस तक होगी।
4. बोली खोलने की दिनांक को किसी कारणवश बोली नहीं खोली गई है जो उसके अगले कार्य दिवस को यह बोली खोली जायेगी।

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम

1. कार्य :–

1.1 बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में सीवर लाईन एवं मशीनहॉल के ब्लॉकेज को खोलना एवं सीवर लाईन की प्लगिंग कर डी–सिल्टिंग कार्य हेतु नगर निगम की हाईपॉवर जेटिंग कम सुपर सकर मशीन, जेटिंग कम सक्सन मशीनों का बोली शर्तों अनुसार रख–रखाव एवं संचालन कार्य मय वाहन चालक, ऑपरेटर, श्रमिक, POL सहित कार्य हेतु बोली आमंत्रित की जाती है।

1.2 इस कार्य हेतु हाईपॉवर जेटिंग कम सुपर सकर मशीन एवं जेटिंग कम सक्सन मशीनें नगर निगम द्वारा सफल संवेदक को उपलब्ध करवाई जायेगी। इन मशीनों पर वाहन चालक, ऑपरेटर, श्रमिक, POL इत्यादि समस्त संसाधनों को लगाते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र में सीवर लाईन एवं मशीनहॉल के ब्लॉकेज को खोलना एवं सीवर लाईन की प्लगिंग कर डी–सिल्टिंग कार्य सफल संवेदक को बोली शर्तों अनुसार करना होगा।

2. बोली प्रस्तुत करना :–

2.1 बोली द्वि–स्तरीय बिड पद्धति के अनुसार दो लिफाफों में ऑनलाईन आमंत्रित की गयी है जिसमें प्रथम तकनीकी बिड होगी जिसमें तकनीकी बोली के साथ मांगे गये सभी दस्तावेज एवं बोली के लिए निर्धारित तकनीकी मापदण्डों से सम्बंधित सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियॉ ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी। द्वितीय बिड वित्तीय बिड होगी जिसमें उपरोक्त कार्य करने हेतु कार्य की दर निर्धारित प्रारूप (BOQ) में ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड में बोली के लिए निर्धारित मापदण्डों के परिपेक्ष्य में तकनीकी बिड में योग्य पाये जाने पर सफल बोलीदाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगा।

2.2 पत्राचार हेतु संवेदक का पता :–

(संवेदक का अपना स्थाई पता, ई–मेल, फोन नम्बर):–

....

....

....

3. तकनीकी बोली में संवेदक की योग्यता/पात्रता एवं तकनीकी बोली के साथ में बोलीदाता द्वारा निम्न दस्तावेज अनिवार्य तौर पर ऑनलाइन अपलोड किये जावेंगे :–

3.1 बोलीदाताओं को बोली शुल्क, अमानत राशि एवं प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन बीकानेर नगर निगम की वेवसाईट www.bikanermc.org पर निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय से पूर्व जमा करवाकर उससे प्राप्त होने वाली रसीद को स्केन करके www.eproc.rajasthan.gov.in पर तकनीकी बिड के साथ अपलोड करने पर ही बोली को मान्य किया जायेगा। उक्त सभी प्रक्रिया ऑनलाईन (ई–टेण्डरिंग) से करनी होगी।

3.2 बोलीदाता/फर्म का वस्तु एवं सेवाकर कार्यालय (GSTIN) में पंजीयन होना आवश्यक है। PAN Card एवं GSTIN पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति स्केन कर अपलोड करनी होगी।

3.3 बोलीदाता/फर्म का कर्मचारी भविष्य निधि विभाग में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के तहत रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण होना आवश्यक है। पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति स्केन कर अपलोड करनी होगी।

3.4 कर्मचारी राज्य बीमा विभाग में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण होना आवश्यक है। पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति स्केन कर अपलोड करनी होगी।

3.5 फर्म को गत पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) में से किसी एक वर्ष या एक से अधिक वर्षों में सरकारी कार्यालय/अर्द्धसरकारी कार्यालय/स्वायत्तशाषी संस्था/नगरीय निकाय/बोर्ड/निगम आदि में हाईपॉवर जेटिंग कम सुपर सकर मशीन अथवा जेटिंग कम सक्सन मशीनों के माध्यम से सीवर लाईन एवं सीवर मशीनहॉल की सफाई करने के कार्य, जो अनुमानित लागत का 40 प्रतिशत (एक कार्य का कार्य अनुभव निविदा की अनुमानित लागत का कम से कम 40 प्रतिशत होना चाहिये) के बराबर का सम्पादित किया हुआ हो, का अनुभव/पूर्णता का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। कार्य अनुभव/पूर्णता प्रमाण पत्र अधिशाषी अभियंता अथवा नगरीय निकाय में आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी अथवा अन्य अधिकारी जो कि अधिशाषी अभियंता से नीचे की रैंक का न हो, से जारी अनुभव/पूर्णता प्रमाण पत्र की स्केन प्रति संलग्न करनी होगी।

3.6 फर्म का गत तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) में औसत वार्षिक टर्न ऑवर कुल बोली राशि का न्यूनतम 60 प्रतिशत का सीए द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.7 वर्तमान में फर्म को किसी सरकारी कार्यालय/अर्द्धसरकारी कार्यालय/स्वायत्तशाषी संस्था/नगरीय निकाय/बोर्ड/निगम आदि द्वारा दोषी मानकर ब्लैक लिस्ट/DEBAR में नहीं हो, इस आशय का रूपये 100 के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से सत्यापित शपथ पत्र तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा (Annexure 'F')।

3.8 फर्म का कोई भी नजदीकी रिश्तेदार बीकानेर नगर निगम में कार्यरत नहीं है, इस आशय का रूपये 100 के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से सत्यापित शपथ पत्र तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा (Annexure 'G')।

3.9 नगर निगम द्वारा संवेदक को सुपुर्द किये जाने वाले समस्त सीवरेज मशीनों का मेजर रखरखाव/रिपेयर/स्पेयर पार्ट्स जैसे ईंजन कार्य, गियर बॉक्स, जेटिंग व सक्शन पम्प, PTO का कार्य इत्यादि, मशीनों के अधिकृत विक्रेता से ही करवाने का रूपये 100 के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से सत्यापित शपथ पत्र।

3.10 बोली प्रपत्र मय सभी अनुलग्नक (Annexure) के प्रत्येक पेज पर बोलीदाता के हस्ताक्षर व सील लगाकर बोली प्रपत्र की स्केन प्रति अपलोड करनी होगी।

3.11 बोलीदाता के द्वारा RTPP Act 2012 की धारा 7 व 11 में घोषणा पत्र की स्केन प्रति अपलोड करनी होगी (फोरमेट बोली प्रपत्र के साथ संलग्न है)।

3.12 ज्वोइंट वेन्चर फर्म द्वारा प्रस्तुत बोली प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा ।

3.13 संवेदक किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को यह कार्य सबलेट नहीं कर सकेगा, इस आशय का 100 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र अपलोड करना होगा। (Annexure H)

3.14 फर्म के एक से अधिक साझेदार/सदस्य होने पर अनुबंध एवं बोली प्रपत्र हस्ताक्षर करने के लिये दी गई पॉवर ऑफ एटार्नी जमा करवानी होगी तथा

(क) बोली प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकार पत्र, सभी पार्टनर्स का हस्ताक्षर किया हुआ, प्रस्तुत करेगा।

(ख) सफल संवेदक होने की स्थिति में अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने व अन्य कार्य करने के लिए अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट :– उपरोक्त बिन्दु संख्या 3.1 से 3.14 तक निर्धारित मापदण्डों हेतु आवश्यक उल्लेखित दस्तावेज 'ई' बोली की तकनीकी बिड में अनिवार्य रूप से अपलोड करने होगें। इनके अभाव में बोली दाता को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा तथा उस बोलीदाता के द्वारा प्रस्तुत बोली का द्वितीय भाग (वित्तीय बिड) नहीं खोला जायेगा। तकनीकी बिड में सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जायेगी।

4. बोली की सामान्य शर्तें :–

4.1 बोलीदाताओं को बोली शुल्क, अमानत राशि एवं प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन बीकानेर नगर निगम की बेवसाईट www.bikanermc.org पर निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय से पूर्व जमा करवाकर उससे प्राप्त होने वाली रसीद को स्केन करके www.eproc.rajasthan.gov.in पर तकनीकी बिड के साथ अपलोड करने पर ही बोली को मान्य किया जायेगा। नियत समय के पश्चात प्राप्त बोलीयों पर विचार नहीं किया जावेगा। उक्त सभी प्रक्रिया ई–टेण्डरिंग से करनी होगी। निर्धारत बोली शुल्क, अमानता राशि एवं प्रोसेसिंग फीस से कम भुगतान करने वाली बोली पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा बोली हेतु अयोग्य माना जायेगा।

4.2 बोली शुल्क व ई–प्रकिया शुल्क (processing fee) की राशि Non-refundable है।

4.3 बोली प्रस्तुत करने के लिये सभी व्यय संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। उक्त व्यय के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं है।

4.4 बोली दस्तावेज अपलोड करने से पूर्व बोलीदाता को कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल का भौतिक निरीक्षण/जानकारी कर लेने की सलाह दी जाती है। इससे सबंधित समस्त व्यय बोलीदाता को ही वहन करने होगें। बोली प्रस्तुत करने के उपरान्त समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।

4.5 बोलीदाता कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल, बोली दस्तावेज, विभिन्न नियम–शर्तो/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वितीय प्रस्ताव में अपनी दरें प्रस्तुत करें।

4.6 बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित अन्तिम तिथि व समय के पश्चात् बोलीदाता, बोली में किसी प्रकार का संशोधन/बोली को प्रत्याहृत नहीं कर सकेगा।

4.7 बोली एवं कार्य से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचना, विभिन्न नियम/शर्तों, विवरण पर जानकारी हेतु बोली प्रपत्र अपलोड करने से पूर्व संबंधित कार्यालय अधिशाषी अभियंता (यांत्रिक), नगर निगम बीकानेर से कार्यालय समय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

4.8 वित्तीय प्रस्ताव में बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दरों में सभी प्रकार के कर व प्रभार सम्मिलित होगें। भुगतान में से टी.डी.एस. व अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

4.9 सशर्त बोली मान्य नहीं होगी।

4.10 संविदा की समय अवधि एक वर्ष की होगी। कार्य संतोषजनक होने पर संवेदक की सहमति से नगर निगम नियमानुसार कार्य समय अवधि बढाये जाने हेतु स्वतंत्र है। अति विशिष्ट परिस्थितियों में आयुक्त, नगर निगम बीकानेर को अनुबन्ध अवधि विस्तार के सन्दर्भ में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा एवं मान्य होगा। कार्य संतोषजनक नहीं होने अथवा अन्य परिस्थितियॉं होने पर कभी भी/किसी भी समय नगर

निगम बोली निरस्त कर सकता है जिस पर कोई वाद मान्य नहीं होगा तथा न ही संवेदक को संविदा में बचे हुए समय के लिए कोई क्षतिपूर्ति राशि देय होगी। इसके लिए निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

4.11 नियमित रूप से कार्य की समय पाबन्द व्यवस्था व त्वरित निर्देश प्रवाह हेतु बोलीदाता/संवेदक को निरन्तर संचालन स्थिति में मोबाईल टेलीफोन की व्यवस्था रखनी होगी जिसके अभाव में शर्तो का उल्लंघन माना जावेगा। बोलीदाता/संवेदक को बीकानेर स्थित अपने कार्यालय/कार्यशाला का पूर्ण पता देना होगा।

4.12 नगर निगम के द्वारा LOA जारी करने के पश्चात सफल संवेदक को निम्न औपचारिकताएँ 15 दिन में पूर्ण करनी होगी :–

(क) नियमानुसार अनुबन्ध पत्र नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना।

(ख) कार्य आदेश/बोली की राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/शेड्यूल बैंक की बैक गारण्टी/शेड्यूल बैक की एफ.डी.आर."Commissioner, Bikaner Nagar Nigam" के नाम बीकानेर में देय प्रस्तुत करने हेतु। संविदा अवधि के दौरान अनुबन्ध राशि में वृद्धि होने पर बढी हुई राशि की नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि संवेदक द्वारा जमा करानी होगी।

(ग) सफल बोलीदाता को सीवर मशीनों की सुरक्षा के रूप में रूपये 50 लाख की प्रतिभूति राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/शेडयूल बैंक की बैक गारण्टी/शेडयूल बैक की एफ.डी.आर. "Commissioner Bikaner Nagar Nigam" के नाम बीकानेर में देय प्रस्तुत करनी होगी। जो कि अनुबन्ध अवधि की समाप्ति की दिनांक से 2 माह बाद की अवधि तक वैध होना आवश्यक है।

(घ) नगर निगम बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक से बैंक गारंटी प्रमाणीकरण करवाने हेतु स्वतंत्र है।

(ड) प्रतिभूति राशि जब्त करने की स्थिति में एफ.डी.आर. ब्याज सहित जब्त होगी।

(च) प्रतिभूति राशि संविदा कार्य समयावधि पूर्ण होने की दिनांक से 60 दिवस बाद तक वैध होनी आवश्यक है एवं कार्य की समयावधि बढ़ाने पर प्रतिभुति राशि की समयावधि भी उसी अनुसार संवेदक को बढ़वानी होगी।

4.13 यदि सफल बोलीदाता उपर्युक्त अवधि में अनुबंध पत्र एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि व मशीनों/वाहनों की सुरक्षा राशि जमा नहीं कराता है तो युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देते हुए बीकानेर नगर निगम इस बोलीदाता की बोली को निरस्त कर एवं धरोहर राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के नियम 76(3) के अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

4.14 सफल बोलीदाता की बोली के समय जमा करवायी गयी अमानत राशि को संवेदक के निवेदन पर प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज संदत नहीं किया जायेगा। सफल बोलीदाता के साथ अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात् सभी असफल बोलीदाताओं की अमानत राशि विना ब्याज के लौटाई जावेगी।

4.15 केन्द्रीय सरकार तथा राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होंगे।

4.16 सफल संवेदक के साथ अनुबन्ध निष्पादन होने के पश्चात् नगर निगम बीकानेर द्वारा सफल संवेदक को कार्यादेश जारी किया जायेगा। सफल संवेदक को कार्यादेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर कार्य प्रारम्भ करना होगा। कार्य प्रारम्भ नहीं करने की अवस्था में प्रति दिन 20000/– रू शास्ति लगाई जायेगी।

4.17 **निम्न स्थिति मे अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी:–**

(1) बोली प्रस्तुत करने के निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् बोलीदाता, बोली में किसी प्रकार का संशोधन/बोली प्रत्याहृत करता हो

(2) जब बोलीदाता LOA जारी होने के पश्चात् दी गई समयावधि में अनुबंध पत्र प्रस्तुत नहीं करता है।

(3) यदि सफल बोलीदाता कार्यादेश के अनुसार दी गई अवधि में बोली में उल्लेखित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।

(4) जब LOA दिए जाने के पश्चात् बोलीदाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(5) यदि बोलीदाता बोली प्रपत्र में दी गई शर्तों का उल्लंघन करता है।

4.18 **कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण (Forfeiture)**:– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का निम्नलिखित कारणों/प्रकरणों में पूर्णतः या अंशतः समपहरण किया जा सकेगा–

(क) जब संविदा के किसी निबन्धन और शर्तों को भंग किया जाता है।

(ख) जब बोलीदाता संतोषप्रद रुप से सेवा प्रदाय करने में विफल रहता है।

(ग) जब बोलीदाता कार्यादेश में दी गई समयावधि में उल्लेखित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।

(घ) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में आयुक्त, बीकानेर नगर निगम का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

4.19 **बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली को निम्न स्थितियों में निरस्त माना जायेगा यदि–**

(1) बोली दस्तावेजों के प्रावधान के अनुसार तकनीकी योग्यता नहीं रखता हो।

(2) बोली के साथ बोली प्रपत्र में उल्लेखित विभिन्न राशि व दस्तावेज जमा नहीं कराता हो।

(3) जानबुझकर तथ्यों को छिपाया गया हो या गलत पेश किया गया हो।

4.20 समयावधि के पश्चात प्राप्त बोलीयों पर विचार नहीं किया जायेगा। बोलीदाता द्वारा समयावधि के पश्चात् बोली प्रस्तुत करने के लिए बीकानेर नगर निगम उतरदायी नहीं होगा। किसी भी तकनीकी कारण से बोली दस्तावेज/शुद्विपत्र/संशोधन, ई– प्रोक्योरमेंट/SPPP पॉर्टल से डाउनलोड नहीं होने अथवा बोलीदाता के द्वारा बोली अपलोड नहीं होने पर नगर निगम उतरदायी नहीं है।

4.21 बोली खोलेने की तिथि को किसी कारणवश यदि बोलीयां नही खोली जाती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को बोलीयां खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।

4.22 नगर निगम बोली स्वीकार करने, अस्वीकार करने, आंशिक स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। न्यूनतम बोली स्वीकार करने के लिये नगर निगम बाध्य नहीं है। कार्य आदेश देने के पूर्व तक नगर निगम सभी बोलीयों को निरस्त कर सकता है।

4.23 सफल बोलीदाता द्वारा संविदा कार्य अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं No Dues Certificate प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।

5. वाहन चालकों, ऑपरेटर एवं हेल्पर के सम्बंध में महत्वपूर्ण निर्देश :–

5.1 समस्त श्रम कानूनों के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संवेदक का होगा।

5.2 श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार वाहन चालकों, ऑपरेटर, हेल्पर को भुगतान करने का समस्त दायित्व संवेदक का होगा।

5.3 संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त मैनपॉवर वाहन चालकों, ऑपरेटर, हेल्पर का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा। जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह

के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान मय सूची की प्रति प्रस्तुत की जावे।

5.4 श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उतरदायी होगा।

5.5 यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रवन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उतरदायित्व संवेदक का होगा।

5.6 कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये नगर निगम बीकानेर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

5.7 श्रमिकों का बीमा करवाना संवेदक का उत्तरदायित्व होगा। कार्य जोखिम भरा होने के कारण पूर्ण सावधानी रखने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। इसमें नगर निगम बीकानेर का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

5.8 निविदादाता द्वारा लगाये गये व्यक्तियों के संबंध में लागू श्रम नियम/अधिनियम/उपनियम आदि की पालना संवेदक के द्वारा की जावेगी । नगर निगम बीकानेर का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा । इससे सम्बन्धित किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का दायित्व संवेदक का होगा।

5.9 वाहन चालक अनुभवी एवं सम्बन्धित श्रेणी का वाहन चलाने का वैध ड्राईविंग लाइसेंसधारी होना चाहिये।

5.10 कार्य वर्ष के पूरे 365 दिन किया जाएगा।

5.11 सभी मशीनों की दैनिक लोगबुक मशीनों के साथ रखी जायेगी जिसमें वाहन को उपयोग में लेने वाले अधिकारी द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य का प्रमाणीकरण किया जायेगा।

5.12 प्रत्येक वाहन चालक, ऑपरेटर, हेल्पर वर्दी धारण करेगा जिसकी जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

5.13 वाहनों के लिए ईंधन (ऑयल/डीजल), समस्त स्पेयर पार्टस्, ल्यूब्रीकेन्ट्स एवं मरम्मत के कार्य की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी। नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी वाहनों/मशीनों की मेजर सर्विस/रिपेयरिंग कार्य अधिकृत विक्रेता/सर्विस सेन्टर से ही संबंधित अभियन्ता के पर्यवेक्षण में करवाना होगा तथा प्रति माह वाहनों में कराये गये कार्य की रिपोर्ट सर्विस सेन्टर के बिल सहित नगर निगम गैरेज में करनी होगी।

5.14 ड्युटी पर तैनात कोई भी वाहन चालक, ऑपरेटर, हेल्पर किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशीला पदार्थ सेवन किया हुआ नहीं होना चाहिये तथा किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण नहीं करेगा। शारीरिक रूप से असक्षम एवं बाल श्रमिक कार्य पर नहीं लिया जावे। संवेदक द्वारा लगाये गये सभी वाहन चालक, ऑपरेटर, हेल्पर अनुशासित, समय पावन्द, मृदुभाषी होगें तथा आमजन व निगम कर्मचारियों के साथ शालीनता से व्यवहार करें। इस शर्त की पालना नहीं करने पर आयुक्त नगर निगम बीकानेर द्वारा संवेदक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में ली जावेगी।

5.15 संवेदक द्वारा संचालित इन वाहनों/वाहन चालकों से दुर्घटना घटित होने पर समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी। ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने पर किसी भी तरह के चालान के लिये संवेदक/वाहन चालक जिम्मेदार होगा।

5.16 वाहन चालक वाहनों के संचालन हेतु दक्ष एवं प्रशिक्षित तथा उपयुक्त श्रेणी का वैध लाईसेन्सधारी होना आवश्यक है। किसी भी तरह की शासकीय या आर्थिक हानि के लिये संवेदक जिम्मेदार होगा।

5.17 कार्य समय में कार्य स्थल पर जाते समय या कार्य करते समय किसी प्रकार की प्राकृतिक/अप्राकृतिक घटना/दुर्घटना से जनसाधारण या श्रमिकों के घायल होने/मृत्यु होने आदि पर सभी प्रकार का उतरदायित्व (वित्तीय एवं विधिक) संवेदक का होगा। नगर निगम बीकानेर किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पर विधिक या अन्य रूप से उतरदायी नहीं होगा।

5.18 त्यौहार/उत्सव, विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर एवं विशेष परिस्थितियों में कभी भी किसी भी समय वाहन को कार्य पर बुलाया जा सकेगा।

5.19 संवेदक द्वारा मशीनों के संचालन के लिए लगाये गये समस्त श्रमिकों/वाहन चालकों के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। निगम द्वारा इनको पृथक से किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया जायेगा।

5.20 वाहन चालक आदि के उपयुक्त बीमा तथा श्रम नियमों एवं भविष्य निधि नियमों की पूर्ण पालना करने का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। सफल निविदादाता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मशीन/वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेंस की प्रतिया अधिशाषी अभियंता गैराज कार्यालय मे प्रस्तुत करनी होगी।

5.21 वाहन एवं वाहन चालकों का विवरणः–

निम्न प्रपत्र में सूचना कार्यादेश जारी होने के बाद लेकिन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह जानकारी यंत्रालय अनुभाग, नगर निगम बीकानेर को प्रस्तुत करनी होगी।

क्र.सं.	मशीन/वाहन चालक का नाम व पता	वाहन चलाने का ड्राईविंग लाईसेन्स नम्बर	लाईसेन्स की वैद्यता दिनांक

5.22 संवेदक द्वारा वाहन चालकों/कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण अपने स्तर पर उपलब्ध करवाये जावेगें तथा कार्य के दौरान हमेशा सुरक्षा उपकरण साथ रखने होंगें। कार्य हेतु एवं कार्य के दौरान वाहन चालकों की सम्पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

5.23 संवेदक द्वारा सभी वाहनों पर स्वयं के स्तर पर GPS लगाया जायेगा जिसका व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा। GPS रिपोर्ट अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। उक्त जीपीएस सिस्टम नगर निगम परिसर में ही लगाना होगा तथा इन डिवाइसेज का लोग इन आईडी व पासवर्ड (Access) गैरेज कार्यालय में देना होगा।

5.24 वाहनों के सभी स्पेयर पार्टस् उपसाधन, बैटरियॉं, डीजल, ऑयल, ल्युब्रिकेन्टस, पार्टस मरम्मत, चालक एवं मशीनों पर अन्य समस्त व्यय निविदादाता को करने होगें।

5.25 लागू होने की स्थिति में निविदादाता के द्वारा राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम–1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम–1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम–1948 की पालना

सुनिश्चित करनी होगी। ईपीएफ एवं ईएसआई जमा करवाने की समस्त जिम्मेदारी सफल निविदादाता की ही होगी। संबंधित विभाग में किसी भी तरह की राशि बकाया नहीं होने की समस्त जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी। इसके लिए निगम किसी भी तरह से उतरदायी नहीं होगा।

6. **सीवर सफाई के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां एवं निर्देश:–**

6.1 Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Rules, 2013 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सीवर सफाई के लिए सीवर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Rules, 2013 का यथा परिवर्तन सहित पालन संवेदक को करना होगा।

6.2 सीवर सफाई कार्य के दौरान सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जावे। बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर सफाई का कार्य नहीं करवाया जावे। सुपरवाईजर मशीनरी के साथ पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के साथ साईट पर उपस्थित रहें।

6.3 सर्वप्रथम सुपरवाईजर द्वारा सीवर सफाई के लिये पॉईट का निर्धारण करते हुए बैरिकेडिंग लगाई जावे। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य के आगे पीछे के दो – तीन मशीनहॉल खोले जावे ताकि जहरीली गैसें बाहर निकल जायें।

6.4 सफाई हेतु मशीन प्रयोग में ली जाकर उसका संचालन निर्धारित विधि एवं प्रशिक्षित सुपरवाईजर की देखरेख में किया जाना होगा।

6.5 सफाई उपरान्त मशीनहॉल को अच्छे तरीके से टाईट बंद किया जाना होगा।

6.6 हानिकारक गैस रिसाव होने की स्थिति में सुरक्षा उपकरण जैसे – Breathing Appratus, Alarm system, Firstaid इत्यादि की सम्पूर्ण व्यवस्था संवेदक के द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

6.7 संवेदक इस कार्य हेतु आवश्यकतानुसार (शर्त 7.3 में वर्णित) सुपरवाईजर रखेंगें। सफाई के कार्य हेतु सुपरवाईजर एवं प्रयुक्त मानव संसाधन पूर्ण रूप से उपयुक्त एवं प्रशिक्षित होने चाहिए।

6.8 संवेदक द्वारा जिन कर्मचारियों को सीवर और सेप्टिक टेंक की सफाई का कार्य सौंपा गया है, उनकी जीवन बीमा पॉलिसी कम से कम 10 लाख रू. की हो, जिसके प्रीमियम का भुगतान संवेदक द्वारा किया जावेगा। इसका उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

6.9 किसी भी लापरवाही के लिये संवेदक स्वयं ही जिम्मेदार होंगें।

6.10 Checklist for protective gears and safety devices that shall be made readily available in sewer cleaning at the site and contractor shall provide at the time of work starting which shall be verified by OIC Executive Engineer.

Air compressor for blower	Air line respirator with manually operated air blower
Artificial respiration/Reticulate	Barrier Creme
Blower	Breathing Apparatus
Chlorine mask	First aid box
Gas monitor (4 gases)	Full body water suit
Hand Gloves	Helmet
Lead Acetate paper	Modular Airlines supply trolly system

Nylone rope ladder - 5 m	Pocket book
Rain coat	Safety belt
Safety body harness	Safety gumboots
Safety showers	Safety tripod set
Safety googles	Safety helmets
Safety torch	Search light
Airline breathing apparatus	Air purifier gas mask/chin cortege
Barrier caution tape	Barrier cone
Breath mask	Caution Board
Emergency medical oxygen resuscitator system	Face mask
Guide pipe set	Fishing wader suit attached with boot
Head lamps	Helmet demolishing
Life guard pad	Normal face mask
Nylon safety belt	Port oxy
Reflacting jacket	Safety body clothing
All required safety precautions apparatus	

7. **कार्य एवं कार्यविधि, तकनीकी विवरण :–**

7.1 नगर निगम द्वारा चालू हालत (working condition) में मशीनें मय आवश्यक दस्तावेजों की छाया प्रति के साथ सफल संवेदक को सुपुर्द की जावेगी। फर्म को वाहन सुपुर्दगी के पश्चात संविदा अवधि में सभी वाहनों के इन्शोरेन्स, मशीन/वाहन चालक का लाइसेन्स व अन्य समस्त दस्तावेजों आदि के लिये संवेदक उत्तरदायी होगा। तत्पश्चात् मशीनों पर होने वाली समस्त प्रकार की रिपेयर आदि के लिए संवेदक उत्तरदायी होगा।

7.2 सक्षम स्तर से गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर सफल संवेदक को सभी मशीनें चालू स्थिति में सुपुर्द की जावेगी। बोली अवधि समाप्त होने के पश्चात सक्षम स्तर से गठित समिति द्वारा प्रस्तुत संतोषजनक रिपोर्ट के आधार पर चालू हालत (working condition) में मशीनों को संवेदक द्वारा नगर निगम में सुपुर्द करना होगा। इस शर्त की पालना नहीं करने पर संवेदक की जमा प्रतिभूति राशि/सुरक्षा राशि में से कटौती की जायेगी।

7.3 सफल बोलीदाता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी मशीनों के साथ लगाई जाने वाली टीम/वाहन चालक का लाइसेन्स की प्रतियॉं तथा समस्त मैनपॉवर का रिकॉर्ड गैरेज प्रभारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

7.4 संवेदक द्वारा मशीनों के संचालन एवं रख–रखाव पर निम्नानुसार न्यूनतम स्टाफ होना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार स्टाफ को बढ़ाया जा सकता है जिसके लिये नगर निगम द्वारा अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

क्र. सं.	मशीन का प्रकार	क्षमता	न्यूनतम स्टाफ की संख्या
01	हाईपॉवर जेटिंग कम सुपर सकर मशीन एवं 10000 लीटर क्षमता के 02 डम्प टैंक	10000 लीटर	01 सुपरवाईजर 03 भारी वाहन चालक 01 ऑपरेटर एवं 7 हेल्पर
02	हाईपॉवर जेटिंग कम सुपर सकर मशीन एवं 10000 लीटर क्षमता के 01 डम्प टैंक	10000 लीटर	01 सुपरवाईजर 02 भारी वाहन चालक 01 ऑपरेटर एवं 7 हेल्पर

03	जेटिंग कम सक्सन मशीन 8500 लीटर टैंक (4500 ली. जेटिंग वॉटर टैंक एवं 4000 ली. शल्ज टैंक)	8500 लीटर	आवश्यकतानुसार सुपरवाईजर प्रति मशीन – 01 भारी वाहन चालक, 01 ऑपरेटर, 3 हेल्पर
04	जेटिंग कम सक्सन मशीन 4500 लीटर टैंक (2500 ली. जेटिंग वॉटर टैंक एवं 2000 ली. शल्ज टैंक)	4500 लीटर	आवश्यकतानुसार सुपरवाईजर प्रति मशीन – 01 भारी वाहन चालक, 01 ऑपरेटर, 3 हेल्पर
05	संकडी / तंग गलियों में रोडिंग कार्य हेतु 4500 लीटर क्षमता की 2 मशीनों के साथ 2–2 कुशल श्रमिक / हेल्पर अतिरिक्त लगाये जायेंगे।		

7.5 वाहनों के सभी स्पेयर पार्टस, उपसाधन, बैटरियॉ डीजल, ऑयल, ल्युब्रिकेन्टस, पार्टस मरम्मत, चालक एवं मशीनों पर अन्य समस्त व्यय सफल संवेदक को वहन करने होगें।

7.6 यातायात के समस्त नियमों की पालना सफल संवेदक को करनी होगी।

7.7 हाईपॉवर जेटिंग कम सुपर सकर मशीन के लिये 5000 ली. क्षमता का पानी टैंकर संवेदक द्वारा ही उपलब्ध करवाया जाकर मशीनों के साथ रखा जायेगा जिनमें पम्पिंग करने की मशीन लगी हुयी होनी चाहिए जिससे सीवर मशीन के टैंक को सीधा ही भरा जा सकें।

7.8 नगर निगम बीकानेर द्वारा उपलब्ध करवाई इन सीवर मशीनों के संचालन एवं रख–रखाव हेतु बोली प्रपत्र की शर्त संख्या 6.10 के अतिरिक्त आवश्यक समस्त प्रकार के सुरक्षा उपकरण जैसे गैती, लोहे की रोडें, फावड़ा, छैनी, हथौड़ी, बाल्टी, सैफ्टी बैल्ट, बांस, खुरपी, खपच्ची, मजबूत रस्सी, टॉर्च तथा सीवर लाईन की चौकिंग दूर करने हेतु फ्लेक्सिबल स्टील रोड्स एवम् आवश्यक टूल जैसे कटर, भाला, रूट कटर तथा सीवर सफाई काम में आने वाले समस्त उपकरण आदि सामान की व्यवस्था संवेदक को स्वयं करनी होगी।

7.7 संवेदक को सीवर लाईन की सफाई के दौरान डिसिल्टिंग भी करनी होगी। डिसिल्टिंग की आवश्यकता के अनुसार लाईन की Plugging or blocking करनी होगी। साथ ही Plugging or blocking होने पर सीवर लाईन को पम्प लगाकर बाईपास करना होगा। आवश्यकतानुसार संवेदक को पम्प सेट उपलब्ध करवाने होगें। जिसके लिए नगर निगम द्वारा अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

7.8 भारत सरकार के निर्देशानुसार सीवर चैम्बरो में श्रमिकों के उतरने का कार्य प्रतिबंधित कर दिया गया है। अतः आवश्यकतानुसार सीवर चैम्बर से सिल्ट, पॉलीथीन आदि निकालने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश / निर्देश इत्यादि के अनुसार तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया जायेगा, जिसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए नगर निगम द्वारा अलग से कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा।

7.9 सफाई कार्य एवं अन्य कार्यों का निर्धारण नगर निगम के अधिकृत अधिकारी करेगें, उसी अनुसार कार्य करना होगा। कार्य के समय की गणना कार्य स्थल पर पहुँचने से शुरू होगी। कार्य का समय नगर निगम द्वारा निर्धारित किया जावेगा। भीड–भाड़ वाले क्षेत्रों में रात्रि में कार्य किया जायेगा।

7.10 बीकानेर के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में सीवर मशीनहॉल / चैम्बर्स की सफाई, चौकिंग हटाने तथा चैम्बर्स से निकाली गई सिल्ट को बीच रोड़ से हटाकर उचित स्थान पर निस्तारण करना होगा।

7.11 सीवर लाईन की चौकिंग हटाने व मशीनहॉल की सफाई के कार्य में पर्याप्त अनुभवी व कुशल श्रमिकों को ही लगाया जावेगा तथा लगाये गये श्रमिकों को आवश्यक समस्त उपकरण संवेदक द्वारा उपलब्ध कराने होगें।

7.12 सीवर लाईन सफाई करते समय यदि कोई खुदाई का कार्य किया गया है तो राहगीरों की सुरक्षा के दृष्टिगत बेरीकेडिंग की व्यवस्था संवेदक को करनी होगी।

7.13 रोडिंग से 4 इंच से 12 इंच व्यास की सीवर लाईनों की सफाई की जानी है परन्तु आवश्यकता होने पर 12 इंच से बडे आकार की सीवर में भी रोडिंग करके सफाई कार्य करना होगा।

7.14 कार्य पूर्ण करने के पश्चात फ्रेम से मिट्टी हटाकर मशीनहॉल कवर को उसकी सही स्थिति में वापिस रख कर यह सुनिश्चित किया जावेगा कि कवर सही ढ़ंग से फिट हो गया है व उसमे कोई रबक नहीं है।

7.15 यदि सीवर मशीनहॉल के ढक्कन कहीं दबे हुए है तो मेटल डिटेक्टर की सहायता से संबंधित अधिकारियों के मार्गदर्शन/निर्देशन में खुदाई कराई जावे। रोड कटिंग, केबल इत्यादि की स्थिति हेतु निगम अभियन्ताओं की उपस्थिति में ही कार्य करावें।

7.16 कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता/स्वच्छता निरीक्षक/स्वास्थ्य अधिकारी/नगर निगम के उच्चतर अधिकारी के द्वारा दूरभाष पर निर्देश प्राप्त होने पर शिकायत का निस्तारण अविलम्ब करना होगा।

7.17 संवेदक को राजस्थान सम्पर्क व नगर निगम की हैल्पलाईन शाखा से प्रतिदिन सीवर जाम/सीवर लाईन ओवर फ्लो होने से संबंधित समस्त शिकायतों के अलावा दूरभाष पर प्राप्त होने वाली शिकायतों को भी 24 घण्टे में निस्तारण करना होगा।

7.18 संवेदक को प्रति दिवस प्राप्त होने वाली शिकायतों का निर्धारित समय में निस्तारण करना होगा। नगर निगम के कॉल सेन्टर के अतिरिक्त एक अन्य हैल्प लाईन की व्यवस्था संवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर की जायेगी, जिसके लिए कार्यालय समय मे संवेदक द्वारा अधिकृत कर्मचारी लगाना होगा। उक्त कर्मचारी द्वारा एक शिकायत पंजिका का संधारण किया जायेगा जिसमें समस्त शिकायतों (दूरभाष एवं ऑफलाईन) के प्राप्त होने एवं निराकरण की दिनांक व समय का अंकन करना होगा। संवेदक द्वारा प्राप्त शिकायतों का निविदा शर्तो अनुसार निस्तारण पश्चात उन निस्तारित शिकायतों को संबंधित अधिकारी के द्वारा सत्यापन करवाना होगा। प्रति माह बिल के साथ संबंधित अधिकारी से प्रमाणित शिकायत पंजिका की कॉपी प्रस्तुत करनी होगी।

7.19 आवश्यक होने पर संवेदक को राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी सीवर सम्बन्धी शिकायतों का निस्तारण कार्य करना होगा। उक्त कार्य हेतु कर्मचारियों की तैनाती संवेदक अपने स्तर पर करेगा तथा कार्यरत कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश इत्यादि संवेदक द्वारा अपने स्तर पर दिये जाने की व्यवस्था की जावेगी।

7.20 सीवर मशीनहॉल के कवर्स को उचित साधन के द्वारा सावधानीपूर्वक खोला जावेगा ताकि उनके कोई क्षति न पहुंचे। यदि कवर अथवा उसके फ्रेम को क्षति पहुंचती है तो उसकी तत्काल निःशुल्क मरम्मत करने का दायित्व संवेदक का होगा।

7.21 मशीनें खराब होने पर संवेदक द्वारा अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिकी) के निर्देशन में निविदा की शर्तो के अनुसार मशीनों को सही करवाया जायेगा।

7.22 सीवर लाईन सफाई के दौरान निकले समस्त प्रकार के कचरे मिट्टी एवम् पत्थर बाहर निकालकर सीवर सिस्टम को चालू करना होगा।

7.23 एक मशीनहॉल से दूसरे मशीनहॉल के बीच की लाईन की जांच के दौरान चालू करके चैक कराना होगा। आवश्यकता होने पर पानी निकालने के लिए संवेदक को पम्प की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर करनी होगी।

7.24 सफल बोलीदाता को नगर निगम कार्यालय/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों/आदेशों का पालन करना होगा।

7.25 कार्य का निरीक्षण किसी भी समय निगम के प्रशासक/महापौर/आयुक्त/उपायुक्तगण/नगर निगम के अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905

E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

7.26 संवेदक द्वारा संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय बोली/अनुबंध शर्तो की अवहेलना करने पर नगर निगम बीकानेर द्वारा बोली निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी। इस संदर्भ मे अन्तिम निर्णय नगर निगम बीकानेर का होगा एवं मान्य होगा।

7.27 सीवर मशीनों का उपयोग सीवर लाईनों की सफाई कार्य में लिया जायेगा। लेकिन आवश्यकता होने पर कवर नाले/नाली जो की कवर है वहां पर भी उक्त मशीनों का उपयोग किया जायेगा।

7.28 मशीनों के कार्य प्रमाणन हेतु सभी मशीनों के लिए अलग–अलग लॉग बुक नगर निगम कार्यालय में आवश्यक शुल्क जमा करवाकर माह की अन्तिम तारीख से पूर्व प्राप्त करनी होगी।

7.29 बोलीदाता लॉग बुक को भरे जाने एवं उपयोगकर्ता अधिकारी से प्रमाणित हस्ताक्षर मय सील कराये जाने के लिये उत्तरदायी होगा।

7.30 निविदा में वर्णित कार्यों के अलावा अन्य कार्य यथा सीवर लाईन के किसी भी तरह के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में सीवर लाईन चौक करना एवं खोलने हेतु संवेदक को निर्देशित करने पर कार्य सम्पादित करना होगा ।

7.31 प्रत्येक माह प्रभारी यंत्रालय अनुभाग को मशीनें चैक करवाते हुए संतोषजनक व चालू हालत (working condition) में मशीनों के होने की रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

7.32 उपलब्धता होने पर इन सभी मशीनो का निर्धारित पार्किंग स्थल बीकानेर नगर निगम गैरेज अथवा नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थल होगा। इस हेतु प्रति मशीन प्रति माह राशि 2500/– रूपये जमा करवाने/प्रतिमाह के बिलों में कटौती संवेदक द्वारा करवाई जायेगी। प्रतिदिन मशीनें नगर निगम गैरेज से रवाना होगी, गैरेज में निर्धारित रजिस्टर पर मशीनों के आने व जाने का समय अंकित कर चालक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। संविदा अवधि में मशीनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

7.33 सफल संवेदक द्वारा बोली मे उपयोग मे लिये गये समस्त शपथ पत्र की मूल प्रति अनुबंध निष्पादन के समय नगर निगम बीकानेर मे प्रस्तुत करनी होगी एवं अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही उक्त कार्य के पश्चात ही की जावेगी। असफल बोलीदाताओ द्वारा अमानत राशि रिफण्ड आवेदन पत्र के साथ बोली मे उपयोग मे लिये गये समस्त शपथ पत्र की मूल प्रति नगर निगम बीकानेर कार्यालय मे प्रस्तुत करनी होगी, इसके अभाव मे अमानत राशि रिफण्ड नही की जावेगी।

7.34 सामान्यतया मशीनों से सीवर सफाई कार्य बीकानेर नगर निगम के सम्पूर्ण क्षेत्र (सभी वार्डों) में आवश्यकतानुसार 8 घण्टे की कुल कार्य अवधि के लिए किया जायेगा। आपातकाल/आवश्यकतानुसार वाहन किसी भी समय बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में किसी भी वार्ड में उपलब्ध करवाकर कार्य करना होगा। साथ ही मशीनों/वाहनों का रात्रि में एवं राजकीय अवकाश में भी उपयोग किया जा सकेगा जिसकी उपलब्धता संवेदक द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

7.35 प्रतिदिन का कार्य समय ग्रीष्म काल व शीत काल में प्रभारी अधिकारी यंत्रालय अनुभाग द्वारा निर्देशानुसार परिवर्तनीय रहेगा। जिसकी पालना संवेदक द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

बीकानेर नगर निगम
नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

7.36 सुपुर्द की जाने वाली मशीनों का विवरणः–

S. no.	Particulars of Machine	Model	Company/Manufacturer
01	02	03	04
1	Complete unit of high power jetting cum super sucker machine of 10,000 Ltr. tank Capacity and two sludge disposel tankers.	2019	Cabin Chasis- Ashoka Leyland Equipment- TPS
2	Complete unit of high power jetting cum super sucker machine of 10,000 Ltr. tank Capacity and one sludge disposel tankers.	2022	Cabin Chasis- TATA Equipment- Ensol
3	Jetting cum suction machine of 8500 Ltr. Capacity (jetting tank 4500 ltr. and sludge tank 4000 ltr. capacity).	2020-21	Cabin Chasis- TATA Equipment- TPS
4	Jetting cum suction machine of 8500 Ltr. Capacity (jetting tank 4500 ltr. and sludge tank 4000 ltr. capacity)	2022	Cabin Chasis- TATA Equipment- TPS
5	Jetting cum suction machine of 4500 Ltr. Capacity (jetting tank 2500 ltr. and sludge tank 2000 ltr. capacity).	2019	Cabin Chasis- TATA Equipment- Ensol
6	Jetting cum suction machine of 4500 Ltr. Capacity (jetting tank 2500 ltr. and sludge tank 2000 ltr. capacity).	2020-21	Cabin Chasis- TATA Equipment- TPS
7	Jetting cum suction machine of 4500 Ltr. Capacity (jetting tank 2500 ltr. and sludge tank 2000 ltr. capacity).	2022	Cabin Chasis- TATA Equipment- TPS

8. कार्य का प्रमाणन एवं भुगतानः–

8.1 मशीनों का प्रति दिन प्रति पारी 8 घण्टों का ही भुगतान किया जायेगा। आवश्यक होने पर आयुक्त/अधिशाषी अभियंता के निर्देशानुसार एक दिन में आठ घण्टे से जितने घण्टे अधिक कार्य करेगी उसका GPS रिपोर्ट व लोगबुक प्रमाणीकरण के अनुसार उन अतिरिक्त घण्टों का भुगतान अनुपातिक रूप से किया जायेगा।

8.2 प्रतिदिन 8 घण्टे से कम कार्य करने पर आनुपातिक कटौती कर भुगतान किया जायेगा। कार्य करने के समय की शुरूआत वार्ड में शिकायत लोकेशन पर पहुँचने से होगी।

8.3 संवेदक द्वारा सभी वाहनों पर स्वयं के स्तर पर GPS लगाया जायेगा जिसका व्यय संवेदक द्वारा वहन किया जायेगा। जीपीएस सिस्टम का लॉगईन आईडी व पासवर्ड (Access) इस कार्यालय के संबंधित अधिकारी को देना होगा। लगाये गये जीपीएस सिस्टम का मोबाईल ऐप भी होना आवश्यक है तथा मोबाईल ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध होना आवश्यक है। संविदा अवधि के दौरान उक्त जीपीएस सिस्टम नवीनतम तकनीक के अनुसार समय–समय पर अपग्रेड करने होंगे।

8.4 प्रत्येक माह का बिल कार्य/मशीन के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा लॉग बुक में हस्ताक्षर मय सील प्रमाणीकरण सहित मासिक रिपोर्ट व जीपीएस रिपोर्ट के साथ आगामी माह की 15 तारीख तक अधिशाषी अभियंता कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बिना GPS रिपोर्ट के कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।

8.5 कार्य की दैनिक शिकायतों का चार्ट हेल्पलाइन से प्राप्त कर उन सभी शिकायतों का निस्तारण होने के पश्चात संबंधित उपयोगकर्ता अधिकारी/प्रभारी द्वारा कार्य पूर्णता को लोगबुक में प्रमाणित करने के पश्चात् भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। भुगतान सम्बन्धित समस्त प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात भुगतान किया जायेगा। प्रक्रिया में समय लगने के कारण बोलीदाता द्वारा कार्य बन्द नहीं किया जावेगा।

बीकानेर नगर निगम
नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

9. निगम शक्तियों एवं शास्तियां प्रावधान

9.1 वाहनों के लिये ईंधन (डीजल/ऑयल), समस्त स्पेयर पार्टस्, ल्यूब्रिकेन्ट्स एवं मरम्मत के कार्य की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

9.2 **शास्ती प्रावधान–**

क्र. सं.	शास्ती का विवरण	शास्ती राशि
01	मशीनों के साथ बोली शर्तों अनुसार सुरक्षा उपकरण नहीं होने पर	1000/– रू प्रति मशीन प्रतिदिन
02	हैल्पलाईन से प्रतिदिन शिकायत प्राप्त नहीं करने पर	1000/– रू प्रतिदिन
03	मशीनों पर जीपीएस सिस्टम नहीं लगा होने पर	उस दिन संबंधित मशीन का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
04	मशीनों पर जीपीएस सिस्टम खराब होने पर	दो कार्य दिवस में जीपीएस सही करवाना होगा, अन्यथा सारणी के क्र.सं. 03 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।
05	निर्धारित 24 घण्टे में सीवर की शिकायत का निस्तारण नहीं करने पर	1000/– रू प्रति शिकायत। 3 दिवस में उक्त शिकायत का निस्तारण नहीं किये जाने पर चौथे दिवस से 1000/– प्रति शिकायत प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति आरोपित की जायेगी। (शास्ति के समय की गणना प्राप्त शिकायत के अगले दिवस को कार्यालय समय से की जायेगी)
06	सफाई के दौरान सीवर लाईन से सक्क किये गये गंदे पानी को निर्धारित एसटीपी या चेम्बर के अतिरिक्त अन्यत्र खाली करने पर	5000/– रू प्रति घटना
07	कार्य स्थल पर सुपर सकर मशीनों के साथ पानी का टैंकर उपलब्ध नहीं करवाने पर।	1000/– प्रतिदिन प्रति सुपर सकर मशीन
08	सीवर लाईन को बाईपास करने के लिए आवश्यकतानुसार पम्प सेट, पाईप एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं करवाने पर।	7000/– प्रतिदिन
09	ड्राईवर व हेल्पर निर्धारित ड्रेस कोड में उपस्थित नहीं होने पर	100/– रू प्रति हेल्पर या ड्राईवर प्रतिदिन
10	सीवर मशीनों (डम्प टेंक) में जमा सिल्ट को निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर खाली करने पर	5000/– रू प्रति घटना
11	मशीन के साथ निर्धारित संख्या में श्रमिक उपलब्ध नहीं होने पर	500/– रू प्रति श्रमिक प्रतिदिन
12	ट्रंक लाईन/डिसिल्टिंग कार्य के दौरान कार्य स्थल पर चेतावनी बोर्ड तथा कार्य के दौरान खोले गये चेम्बर के चारों तरफ उचित बेरिकेडिंग नहीं करने पर	5000/– रू प्रति घटना
13	नगर निगम के कार्य समय में मशीनों का दुरूपयोग होने/निर्देशित किये जाने के बावजूद अन्यत्र कार्य करते हुए पाये जाने पर	रूपये 5000/– प्रति वाहन प्रति घटना
14	वाहन चालक का किसी भी प्रकार का व्यसन लेना/नशीला पदार्थ सेवन किया हुआ पाया जाने पर/आमजन या नगर निगम स्टॉफ के साथ किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण किये जाने पर	500/– रूपये प्रति वाहन चालक प्रति घटना

15	फर्म द्वारा कार्य में बाधा पहुँचाने या कार्य नहीं करने पर	प्रति घटना 1,00,000/– रूपये शास्ति
16	मेजर सर्विस/रिपेयरिंग यथा ईंजन, गियर बॉक्स, सक्शन पम्प, जेटिंग पम्प, PTO इत्यादि कार्य मशीनों के अधिकृत सर्विस सेन्टर के अलावा किसी अन्य जगह से करवाये जाने पर	प्रति घटना 10000/– रूपये की शास्ति आरोपित की जावेगी।
17	माईनर रिपेयर कार्य होने पर मशीन को 2 दिवस में रिपेयर करवाकर संचालन नही करने पर	प्रतिदिन प्रति मशीन रू 3000/–
18	मशीन में मेजर रिपेयर कार्य होने पर संवेदक द्वारा लिखित सूचना देते हुए 05 दिवस में उक्त कार्य करवाकर यांत्रिक गैरेज अभियंता को चैक करवाना होगा।	अन्यथा प्रतिदिन प्रति मशीन रू 3000/–
19	संवेदक द्वारा कॉल सेन्टर स्थापित नहीं करने अथवा कॉल सेन्टर मे स्टॉफ नही होने पर	प्रतिदिन रू 1000/– शास्ती
20	ट्रंक लाईन सफाई/डिसिल्टिंग कार्य के दौरान सुपर सकर मशीन (10000 लीटर) के साथ डम्प टैंक कार्य स्थल पर होना आवश्यक है।	अन्यथा 1500/– रू प्रति डम्प टैंक प्रति दिन
21	आवश्यकता होने पर मशीन के साथ मेटल डिटेक्टर उपलब्ध नहीं करवाने पर ।	रू 1000/– प्रति घटना

9.3 कार्य आरम्भ से समाप्ति अवधि के दौरान नगर निगम अधिकारी किसी भी समय वाहनों/मशीनों का निरीक्षण करने के लिये स्वतंत्र होगें।

9.4 आवश्यकता होने पर मशीनें बीकानेर नगर निगम क्षेत्र से बाहर भी भिजवाई जायेगी जिसके लिए संवेदक मना नहीं कर सकेगें।

9.5 नगर निगम के पास उपलब्धता के अनुसार आवश्यकता होने पर मशीनों की संख्या बढाई जा सकती है। मशीनों की संख्या में कमी/बढ़ोतरी करने का अधिकार नगर निगम को रहेगा।

9.6 बोलीदाता द्वारा कार्य ना करने पर रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य फर्म से कार्य कराया जा सकेगा। अन्य फर्म से कार्य कराने पर अन्तर राशि संवेदक से वसूली जायेगी तथा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

9.7 बोली संबंधित RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013, वित्त विभाग की शर्तें यथा परिवर्तन लागू होगी तथा नगर निगम द्वारा समय–समय पर जारी समस्त निर्देशों की पालना संवेदक को करनी होगी।

9.8 किसी भी शर्त की पालना नहीं होने पर बोली शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा एवं संवेदक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी।

9.9 बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, अनुबंध को निरस्त करने के समस्त अधिकार नगर निगम को रहेगा।

9.10 अनुबन्ध अवधि में किसी भी तरह का वाद–विवाद होने पर संवेदक को एक युक्ति युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर अनुबंध को निरस्त किया जा सकेगा। इस सन्दर्भ मे नगर निगम बीकानेर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

9.11 बोली प्रक्रिया में बोलीदाता को कोई भी आपत्ति होने पर RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के प्रावधान के अनुसार अपील की जा सकती है। किसी भी सम्बन्ध में विवाद की स्थिति में प्रथम अपील अधिकारी निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं द्वितीय अपील अधिकारी शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर होगें।

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905

E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

9.12 कार्य हेतु किसी भी निविदादाता द्वारा अस्पष्ट एवं अव्यावहारिक दरें प्रस्तुत की जाती है, तो उसकी निविदा निरस्त करने तथा अमानत राशि जब्त करने का अधिकार नगर निगम को रहेगा।

10. दुर्घटना :-

10.1 संवेदक द्वारा वाहन चालकों/कर्मचारियों को बोली प्रपत्र में उल्लेखित समस्त सुरक्षा उपकरण अपने स्तर पर उपलब्ध करवाये जावेगें तथा कार्य के दौरान हमेशा सुरक्षा उपकरण उपयोग किये जायेंगें। कार्य हेतु एवं कार्य के दौरान वाहन चालकों की सम्पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

10.2 बोलीदाता द्वारा उपलब्ध करवायें गये श्रमिक एवं वाहन चालक की मौके पर कार्य करते हुए या चलायमान स्थितिं में किसी भी प्रकार की घटना घटित होने, जान माल की हानि पर बोली दाता वैधानिक एवं वित्तीय रूप से उत्तरदायी होगा। बोली दाता पर श्रम कानून के सभी नियम लागू होगे। नगर निगम उक्त दुर्घटना के लिए किसी भी कानूनी कार्यवाही व किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

10.3 कार्य हेतु व कार्य के दौरान किसी भी तरह की वाहन दुर्घटना या चोरी होने पर सभी प्रकार के पुलिस अथवा न्यायिक प्रसंगों के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा तथा ना ही किसी प्रकार का भुगतान नगर निगम द्वारा देय होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिये संवेदक जिम्मेदार होगा।

10.4 दुर्घटना या दोषपूर्ण संचालन आदि के कारण सार्वजनिक स्थल/कार्य स्थल पर वाहन से हुई टूट-फूट के लिये संवेदक उत्तरदायी होगा।

11. बोली प्रपत्र में संशोधन :-

11.1 नगर निगम बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तक प्रशासनिक, तकनीकी या किसी भी कारण से बोली में संशोधन कर सकता है जो कि www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।

11.2 संशोधन बोली प्रपत्र का भाग माना जावेगा एवं राज्य सरकार व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कोई आदेश/निर्देश भी इस बोली का भाग माना जावेगा।

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम बीकानेर

अधिशाषी अभियंता
नगर निगम बीकानेर

सहायक लेखाधिकारी-I
नगर निगम बीकानेर

वित्तीय सलाहकार
नगर निगम बीकानेर

उपायुक्त-II
नगर निगम बीकानेर

मैने/हमने बोली प्रपत्र पढ व समझ लिया है। मैं/हम इसकी पूर्ण पालना करने को सहमत है/हूँ तथा अपनी सहमति में मैं/हम बोली प्रपत्र हस्ताक्षर व सील लगाकर प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं तथा अपनी दर ऑनलाईन बोली प्रपत्र में भरकर प्रस्तुत कर रहे हैं।

बोलीदाता हस्ताक्षर
नाम मय मोहर

बीकानेर नगर निगम
नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

Compliance Sheet with Specification of work

S. no.	Item	Qty.	Unit	Compliance (Yes/No)
01	02	03	04	05
1	Operation & maintenance of complete unit of high power jetting cum super sucker machine of 10,000 Ltr. tank Capacity and two sludge disposel tankers for de- silting of various sewer line, sewer machineholes and storm water drains etc. with man power, diesel, oil, repairing with all safety and other accessorie as per tender conditions (Machine Unit shall be provided by Nagar Nigam). Make Year- 2019	01	8 hours shift per day per machine	
2	Operation & maintenance of complete unit of high power jetting cum super sucker machine of 10,000 Ltr. tank Capacity and one sludge disposel tankers for de- silting of various sewer line, sewer machineholes and storm water drains etc. with man power, diesel, oil, repairing with all safety and other accessorie as per tender conditions (Machine Unit shall be provided by Nagar Nigam). Make Year- 2022	01	8 hours shift per day per machine	
3	Operation & maintenance of jetting cum suction machine of 8500 Ltr. Capacity (jetting tank 4500 ltr. and sludge tank 4000 ltr. capacity) for de- silting of various sewer line, sewer machineholes and storm water drains etc. with man power, diesel, oil, repairing with all safety and other accessorie as per tender conditions (Machine shall be provided by Nagar Nigam). Make Year- 2020-21	01	8 hours shift per day per machine	
4	Operation & maintenance of jetting cum suction machine of 8500 Ltr. Capacity (jetting tank 4500 ltr. and sludge tank 4000 ltr. capacity) for de- silting of various sewer line, sewer machineholes and storm water drains etc. with man power, diesel, oil, repairing with all safety and other accessorie as per tender conditions (Machine shall be provided by Nagar Nigam). Make Year- 2022	01	8 hours shift per day per machine	
5	Operation & maintenance of jetting cum suction machine of 4500 Ltr. Capacity (jetting tank 2500 ltr. and sludge tank 2000 ltr. capacity) for de- silting of various sewer line, sewer machineholes and storm water drains etc. with man power, diesel, oil, repairing with all safety and other accessorie as per tender conditions (Machine shall be provided by Nagar Nigam). Make Year- 2019	01	8 hours shift per day per machine	
6	Operation & maintenance of jetting cum suction machine of 4500 Ltr. Capacity (jetting tank 2500 ltr. and sludge tank 2000 ltr. capacity) for de- silting of various sewer line, sewer machineholes and storm water drains etc. with man power, diesel, oil, repairing with all safety and other accessorie as per tender conditions (Machine shall be provided by Nagar Nigam). Make Year- 2020-21	01	8 hours shift per day per machine	

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905

E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

S. no.	Item	Qty.	Unit	Compliance (Yes/No)
01	02	03	04	05
7	Operation & maintenance of jetting cum suction machine of 4500 Ltr. Capacity (jetting tank 2500 ltr. and sludge tank 2000 ltr. capacity) for de- silting of various sewer line, sewer machineholes and storm water drains etc. with man power, diesel, oil, repairing with all safety and other accessorie as per tender conditions (Machine shall be provided by Nagar Nigam). Make Year- 2022	01	8 hours shift per day per machine	

- दरों में सभी टैक्स सम्मिलित होगें।
- उपरोक्त कार्य करने हेतू कार्य की दर ऑनलाईन ही अपलोड किये गये निर्धारित प्रारूप (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी।
- न्यूनतम दरदाता (L-1) का निर्धारण उपरोक्त सारणी में क्र.सं. 1 से 7 के योग के न्यूनतम के आधार पर किया जावेगा। आवश्यक होने पर न्यूनतम दरदाता (L-1) से समझौता वार्ता की जायेगी।
- उपर्युक्त Compliance Sheet के कॉलम संख्या 5 में आईटम की आपूर्ति के संबंध में हां/नहीं ही अंकित किया जाना है। आईटम की दरें ऑनलाईन एक्सल फाईल में अपनी फर्म का नाम व दरें अंकित की जानी है, बोलीदाता द्वारा उक्त प्रपत्र में दरें प्रस्तावित करने पर बोली पर विचार नहीं किया जायेगा। बोलीदाता द्वारा ऑनलाईन एक्सल फाईल में अंकित की जाने वाली दरें समस्त प्रकार के करों व प्रभारों सहित होनी चाहिये।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc I

बीकानेर नगर निगम
नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

बीकानेर नगर निगम
नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

Annexure- C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is: Director cum Joint Sec., Department of Local Self Govt., Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is: Principal Secy., Department of Local Self Govt., Jaipur

(1) Filing an appeal -

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision. action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the RTPP Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder. he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission. as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) if the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases -

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;

(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;

(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellation of a procurement process;

(e) applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeal -

(a) An appeal under Para (I) or (3) above shall be in the annexed Form along with as man copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal -

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second 'appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal -

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof' relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date: Signature of bidder

Place: Name :

Designation:

Address:

बीकानेर नगर निगम
नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: .... (Supported by an affidavit)
7. Prayer: ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Doc1

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract

ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

iii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose bid is accepted.

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905

E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

Annexure 'E'

–:: अण्डर–टेकिंग ::–

बोली के लिये मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारियां सही व सत्य है, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत बोली निरस्त कर मेरी/हमारी जमा धरोहर राशि जब्त करने के लिये आप अधिकृत है।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी बोली के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/हमारी बोली निरस्त कर दी जावेगी तथा धरोहर राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम यह भी घोशणा करते है कि मैनें/हमने कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं/हम स्वीकार करते है कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नहीं होगा तथा अगर मैंने/हमनें (1) अपनी बोली दर की वैद्यता 90 दिवस से कम समय के लिये प्रस्तुत की (2) दरें स्वीकृति के पश्चात् बोली के निर्देशों की निर्धारित समय में पालना नहीं की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं किया (4) बोली प्रपत्र के व नगर निगम के आदेशों/निर्देशों की पालना नहीं की तो नगर निगम द्वारा बोली निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

इन वाहनों से सम्बन्धित सभी व्यय मैं/हमारे द्वारा वहन किये जायेंगें।

मुझे/हमें यह ज्ञात है कि सिक्योरिटी डिपोजिट का कार्य समाप्त होने के पश्चात् मांग करने पर बिना ब्याज के नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।

बोली स्वीकार होने पर बोली के नियम, शर्तों, संलग्न प्रपत्रों, निगम आदेशों की पालना करने के लिये मैं/हम बाध्य हैं तथा सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश को निरस्त कर सकता है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं किया जावेगा। इसकी मैं/हम सहमति देते हैं।

दिनांक : ....

बोलीदाता का नाम व

हस्ताक्षर मय सील

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905

E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

Annexure 'F'

–:: अण्डर–टेकिंग ::–

(रूपये 100 के नॉन– ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से सत्यापित)

कार्य का नाम :– बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में सीवर लाईन एवं मशीनहॉल के ब्लॉकेज को खोलना एवं सीवर लाईन की प्लगिंग कर डी–सिल्टिंग कार्य हेतु नगर निगम की हाईपॉवर जेटिंग कम सुपर सकर मशीन एवं जेटिंग कम सक्सन मशीनों का बोली शर्तों अनुसार रख–रखाव एवं संचालन कार्य।

मैं/हम...फर्म...का प्रोपराइटर हूँ/हैं तथा बीकानेर नगर निगम द्वारा जारी उक्त बोली में अपनी बोली प्रस्तुत कर रहे हैं।

मैं/हम/मेरी फर्म शपथपूर्वक यह घोषणा करते हैं कि वर्तमान में आज दिनांक को फर्म किसी भी सरकारी कार्यालय/ अर्द्धसरकारी कार्यालय/स्वायत्तशाषी संस्था/नगरीय निकाय/बोर्ड/निगम आदि से Blacklist/Debar नहीं है।

यदि यह घोषणा गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/फर्म के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए सहमत हूँ/हैं।

बोलीदाता का नाम व

हस्ताक्षर मय सील

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905

E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

Annexure 'G'

–:: अण्डर–टेकिंग ::–

(रूपये 100 के नॉन– ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से सत्यापित)

कार्य का नाम :– बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में सीवर लाईन एवं मशीनहॉल के ब्लॉकेज को खोलना एवं सीवर लाईन की प्लगिंग कर डी–सिल्टिंग कार्य हेतु नगर निगम की हाईपॉवर जेटिंग कम सुपर सकर मशीन एवं जेटिंग कम सक्सन मशीनों का बोली शर्तों अनुसार रख–रखाव एवं संचालन कार्य।

मैं / हम...फर्म..का प्रोपराइटर हूँ / हैं तथा बीकानेर नगर निगम द्वारा जारी उक्त बोली में अपनी बोली प्रस्तुत कर रहे हैं।

मैं / हम / मेरी फर्म शपथपूर्वक यह घोषणा करते हैं कि वर्तमान में आज दिनांक को बीकानेर नगर निगम में फर्म का कोई भी नजदीकी रिश्तेदार कार्यरत नहीं है।

यदि यह घोषणा गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे / फर्म के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए सहमत हूँ / हैं।

बोलीदाता का नाम व

हस्ताक्षर मय सील

बीकानेर नगर निगम
नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

Annexure 'H'

–:: अण्डर–टेकिंग ::–

(रूपये 100 के नॉन– ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से सत्यापित)

कार्य का नाम :– बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में सीवर लाईन एवं मशीनहॉल के ब्लॉकेज को खोलना एवं सीवर लाईन की प्लगिंग कर डी–सिल्टिंग कार्य हेतु नगर निगम की हाईपॉवर जेटिंग कम सुपर सकर मशीन एवं जेटिंग कम सक्सन मशीनों का बोली शर्तों अनुसार रख–रखाव एवं संचालन कार्य।

मैं / हम...फर्म...का प्रोपराइटर हूँ / हैं तथा बीकानेर नगर निगम द्वारा जारी उक्त बोली में अपनी बोली प्रस्तुत कर रहे हैं।

मैं / हम / मेरी फर्म शपथपूर्वक यह घोषणा करते हैं कि इस कार्य के लिए हमारी फर्म सफल संवेदक होने पर उक्त कार्य को Sublet नहीं करेगी।

यदि यह घोषणा गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे / फर्म के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए सहमत हूँ / हैं।

बोलीदाता का नाम व

हस्ताक्षर मय सील

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905

E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत चैक लिस्ट

क्र0 सं0	दस्तावेज का विवरण	संलग्न है या नही	पृष्ठ संख्या
01	बोली शुल्क 5000 रुपये, प्रोसेसिंग फीस जयपुर 2000 रुपये भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org. ij Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। सवेंदक को भुगतान के पश्चात रसीद को बोली दस्तावेज के साथ ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।		
02	बिड सिक्योरिटी राशि का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org. ij Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। सवेंदक को भुगतान के पश्चात रसीद को ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan .gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।		
03	फर्म का कोई भी नजदीकी रिश्तेदार बीकानेर नगर निगम में कार्यरत नहीं है, इस आशय का रूपये 100 के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से सत्यापित शपथ पत्र तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा (Annexure 'G')		
04	वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी) पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि		
05	आयकर (पैन नम्बर) पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि		
06	फर्म को गत पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) में से किसी एक वर्ष या एक से अधिक वर्षों में सरकारी कार्यालय/अर्द्धसरकारी कार्यालय/स्वायत्तशाषी संस्था/नगरीय निकाय/बोर्ड/निगम आदि में हाईपॉवर जेटिंग कम सुपर सकर मशीन अथवा जेटिंग कम सक्सन मशीनों के माध्यम से सीवर लाईन एवं सीवर मशीनहॉल की सफाई करने के कार्य, जो अनुमानित लागत का 40 प्रतिशत (एक कार्य का कार्य अनुभव निविदा की अनुमानित लागत का कम से कम 40 प्रतिशत होना चाहिये) के बराबर का सम्पादित किया हुआ हो, का अनुभव/पूर्णता का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। कार्य अनुभव/पूर्णता प्रमाण पत्र अधिशाषी अभियंता अथवा नगरीय निकाय में आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी अथवा अन्य अधिकारी जो कि अधिशाषी अभियंता से नीचे की रैंक का न हो, से जारी अनुभव/पूर्णता प्रमाण पत्र की स्केन प्रति संलग्न करनी होगी।		
07	फर्म द्वारा वर्तमान मे DEBAR/Blacklist नही होने का 100 रू. का स्टाम्प पर शपथ पत्र। (Annexure F)		

08	फर्म का गत तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) में औसत वार्षिक टर्न ऑवर कुल बोली राशि का न्यूनतम 60 प्रतिशत का सीए द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।		
09	बोली की समस्त शर्तों के स्वीकार करने के लिये बोली परिपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर एवं सील लगाकर बोली परिपत्र की प्रतिलिपि अपलोड करना।		
10	बोलीदाता द्वारा आरटीपीपी एक्ट 2012 के सेंक्शन 7 एवं 11 मय घोषणा पत्र 100/– रू के स्टाम्प पर प्रतिलिपि।		
11	संवेदक द्वारा Annexure 'E' में अन्डर टेकिंग 100/– रू के स्टाम्प पर देनी होगी।		
12	बोलीदाता/फर्म का कर्मचारी भविष्य निधि विभाग में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के तहत रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण होना आवश्यक है। पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति स्केन कर अपलोड करनी होगी।		
13	कर्मचारी राज्य बीमा विभाग में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण होना आवश्यक है। पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति स्केन कर अपलोड करनी होगी।		
14	संवेदक किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को यह कार्य सबलेट नहीं करने का 100 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र अपलोड करना होगा। (Annexure H)		

नोट :– सभी घोषणा पृथक–पृथक स्टाम्प पर ही मान्य होगी।

दिनांक ....

बोलीदाता का नाम
व हस्ताक्षर मय सील

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905

E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

BIKANER MUNICIPAL CORPORATION

Declaration by the Bidder in Compliance of Section 7 & 11 of the RTPP Act 2012

Declaration by the Bidder

In relation to our bid submitted to Commissioner, Bikaner Municipal Corporation for Procurement of .... in response to their notice Inviting Bids No .... Dated .... We hereb Declare under section 7 & 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resource and competence required by the bidding document issued by the procuring Entity;
2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the central government or the state government or any local authority, as specified in the bidding document;
3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to our qualifiactions to enter into a procurement contract within a period of three years preceeding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant of debarment proceeding;
5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in public procurement Act, the Rajasthan Transparency in public procurement Rules and this Bidding Document, Which materially affects fair competition;
6. We have complied and shall continue to comply with the code of integrity as specified in the Rajasthan Transparency in public Procurement Act, the Rajasthan Transpanerncy in public procurement rules and this bidding document, till Completion of all our obligation under the contract.

Date:

Place:

Signature of Bidder
Name:
Designation:
Address: